मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई–5, अरेरा कालोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2023

क्रमांक– 214/मप्रविनिआ/2023. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(2)(ज) तथा धारा 181(2)(यघ) सहपठित धाराओं 36 तथा 61 में प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण–चतुर्थ) विनियम, 2020 {आरजी–28(IV), वर्ष 2020}, (जिन्हें एतद् पश्चात् "मूल विनियम" निर्दिष्ट किया गया है), में संशोधन करने हेतु निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् ;

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण–चतुर्थ) विनियम, 2020 में प्रथम संशोधन {एआरजी–28(IV)(i), वर्ष 2023}

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :**

1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण–चतुर्थ), (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020 {एआरजी–28(IV)(i), वर्ष 2023}"** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के "राजपत्र" में इनकी प्रकाशन तिथि से लागू होंगे।

1.3 ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे।

2. **मूल विनियमों के विनियम 2 में संशोधन**

मूल विनियमों के विनियम 2 "विस्तार तथा लागू किये जाने की सीमा" के स्थान पर निम्नानुसार विनियम स्थापित किया जाए :–

"2. विस्तार तथा लागू किये जाने की सीमा

ये विनियम विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अन्तर्गत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों/निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण संबंधी समस्त प्रकरणों पर लागू होंगे जहां पारेषण प्रणाली की क्षमता का आवंटन समय–समय पर यथा संशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2005 के अधीन किया गया हो :

परन्तु यह कि रू. 250 करोड़ (रूपये दो सौ पचास करोड़) की उच्चतम सीमा (threshold limit) से अधिक समस्त नवीन राज्यान्तिरक पारेषण परियोजना(ओं) हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा तथा आयोग द्वारा इसे विद्युत अधिनियम की धारा 63 के अधीन युक्तियुक्त जांच–पड़ताल के पश्चात् भारत सरकार, विद्युत मन्त्रालय द्वारा जारी सुसंगत दिशा–निर्देशों (तथा इसके संशोधनों) के अनुसार कराया जाकर अपनाया जाएगा।"

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकांता पॉडा, सचिव.

टीप : मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण–चतुर्थ) विनियम, 2020 का प्रकाशन मध्यप्रदेश शासन राजपत्र में दिनांक 14 फरवरी 2020 को किया गया।

Bhopal, the 23rd January 2023

No. MPERC/2023/214. In exercise of the powers conferred by Sections 181 (2) (h) and 181(2) (zd) read with Sections 36 and 61 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations, to amend the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Transmission Tariff) (Revision–IV) Regulations, 2020, {RG-28(IV) of 2020}" (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"), namely:-

FIRST AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (TERMS AND CONDITIONS FOR DETERMINATION OF TRANSMISSION TARIFF) REGULATIONS, 2020 {ARG-28(IV) (i) OF 2023}.

1. Short Title and Commencement.

1.1. These Regulations may be called "First amendment to Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of Transmission Tariff) (Revision –IV) Regulations, 2020{ARG-28 (IV) (i) of 2023}".